न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,छोटीसरवन, जिला बांसवाडा

पीठासीन अधिकारी :— पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 3 / 2017

तोलिया बनाम तहसीलदार

आदेश

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956 वास्तें रेवेन्यू रिकार्ड नया नंबर 25 और पुराना नं.548 खसरा संख्या 1210 से 1215 और 1308,1328,1331,1332 कुल खसरा 10 कुल रकबा 35.12 बिघा में भारता पिता श्री मानेंग ग्रम तेजपुर पटवार हल्का घोडीतेजपुर तहसील छोटीसरवन बांसवाडा के नाम दर्ज इन्द्राज रही हो होकर श्री भारता के देहान्त उपरान्त श्री भारता के पुत्रगण शमलाती खातेदार श्री नाथू पिता श्री भारता व श्री नानीया पिता भारता के नाम दर्ज इन्द्राज हुई । तत्पश्चात श्री नाथू पिता श्री भारता के देहांत उपरान्त श्री नाथू के पुत्रगण शमलाती खातेदार उकार,सुरज,कालु,सुखा,पिता श्री नाथू बैवा गौती 1 / 2 व नानीया पिता श्री भारता 1 / 2के नाम से दर्ज इन्द्राज हुई प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसरवन को तलब किया गया एवं जांच किये जाने पर पाया कि रेकार्ड में नानीया पिता श्री भारता इन्द्राज हो गया है ।जो गलत है ।बाद जवाब भूमिदारी तहसीलदार छोटीसरवन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व जमाबंदी में श्री नानीया पिता भारता की जगह वादी का सही नाम तोलिया पिता भारता बदस्तुर करने की आज्ञा दी जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned by CamScanner